


तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु कीतामील में जारी



1-5-18

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 6/5/18 को पेश हो।

पीयूष समारिया

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

25-6-18

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 4/9/18 को पेश हो।

श्री

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

04-9-18

वकील प्रार्थी उपस्थित / वकील प्रार्थी के आदेश अनुरोध द्वारा 21.8.18 को जज. कोर्ट. पर वापस की जिस पर उनके कथन के मोताबे उपरोक्त अनुसार ही रहे। पत्रावली का इकतौला प्रिचा गया। बाद इकतौला मामला प्रथम इकतौला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा सुनियत का सुनियत भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम वसाड तहसील वसाड के ख. सं. 815 से 819 व 348, 1390, 1417, 1882 की भूमियां विकसित होने से उभयपक्षों को ताफैसला बाद तक पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमियों की मौके एवं रेकॉर्ड की अधास्थिति बनाए रखेंगे। मिसल में आदेवा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर